रु. 100

Rs. 1

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219137

ट्रस्ट का घोषणा पत्र

स्टाम्प शुल्क–800/–रूपये

इस ट्रस्ट की घोषणा **श्री श्रीचन्द शर्मा पुत्र स्व० श्री चमनलाल शर्मा एवं श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र स्व० श्री चमनलाल शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर** जो कि इस ट्रस्ट के संस्थापक हैं द्वारा आज दिनांक–21/5/2012 ई0 को घोषित किया गया।

श्री श्रीचन्द शर्मा एवं श्री सुरेश चन्द शर्मा जिन्होंने जन–जन में शिक्षा के प्रचार–प्रसार को अपने जीवन का लक्ष्य कायम कर इस हेतु शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विधिक शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नवयुवकों व नवयुवतियों के प्रशिक्षण व शोध करने हेतु उन्होंने प्रयास किये हैं और उनके परिवार की भी रुचि इस नेक व जनकल्याणकारी कार्य में है, जिसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु एक न्यास की स्थापना उनके द्वारा निम्नलिखित रूप में की जा रही है। लिहाजा यह ट्रस्टडीड बखुशी राजी खूब सोच–समझकर लिखा दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

प्रारम्भ में ट्रस्ट की स्थापनार्थ ट्रस्ट के उपरोक्त संस्थापक ने ट्रस्ट को नगद धनराशि रूपये 11,000.00 शब्देन ग्यारह हजार रूपया दान में आज प्रदान कर दिया है।

1. ट्रस्ट का नाम — केशव माधव शिक्षण संस्थान, ग्राम धूममानिकपुर, गौतमबुद्ध नगर।

श्रीचन्द शर्मा

सुरेश चन्द

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219138

2. ट्रस्ट का पंजीकृत मुख्य कार्यालय	:	ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर जिला गौतमबुद्ध नगर कायम किया गया है व रहेगा तथा भविष्य में यदि ट्रस्ट अपना कार्यालय अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करना चाहे तो खोल सकता है तथा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय शाखायें खोलने के लिए स्वतन्त्र होगा।
3. ट्रस्ट के अन्य ट्रस्टी	:	श्रीमती संजीता शर्मा पत्नि श्री श्रीचन्द शर्मा, कुशलप्रभा शर्मा पत्नि श्री सुरेश चन्द शर्मा, अविनाश शर्मा व अर्जुन शर्मा पुत्रगण श्री श्रीचन्द शर्मा, अंशु कुमार शर्मा पुत्र श्री सुरेश चन्द शर्मा समस्त निवासीगण ग्राम व पोस्ट धूम मानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
4. ट्रस्ट के उद्देश्य		ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा।

1. माध्यमिक व उच्च शिक्षा तथा तकनीकि शिक्षा (इंजीनियरिंग, एम.बी.ए., एम.सी.ए., फार्मेसी आदि) चिकित्सा शिक्षा (मेडीकल, डेण्टल, नर्सिंग, आयुर्वेदिक, पैरामेडिकल आदि), फाइन आर्ट्स, रिसर्च सेण्टर, वोकेशनल कोर्सेज, विधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा व शोध एवं खाद्धय प्रशसंस्करण की शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका संचालन करना आदि।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219139

2. स्वास्थ्य रक्षा हेतु अस्पताल, नर्सिंग होम, चल चिकित्सालय तथा दवा वितरण आदि करना एवं जनहित में स्वास्थ्य शिविर व जनकल्याणिक कार्य करना व उनका संचालन करना।
3. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जमीन भूमि का क्रय करना, लीज व किराये पर लेना, अभिग्रहीत करना और उस पर निर्माण करना।
4. उपरोक्त संस्थानों की स्थापना हेतु आवश्यक उपकरण, सामग्री, संयन्त्र अथवा अन्य पेरीफिरल्स इत्यादि को क्रय करना तथा स्थापित करना।
5. जनहित में पुस्तकालय एवम् वाचनालयों की स्थापना तथा पत्र–पत्रिकाओं का प्रकाशन तथा आध्यात्मिक केन्द्रों का संचालन करना।
7. छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास/बोर्डिंग हाउस को स्थापित करना तथा संचालित करना।
8. सार्वजनिक हित में बालक–बालिकाओं, युवक–युवतियों के सर्वोन्मुखी विकास हेतु सेमिनार, प्रशिक्षण शिविर, संगोष्ठी आदि का आयोजन करना।

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219140

9. सरकारी अर्द्ध सरकारी व निजी संस्थानों तथा व्यक्ति विशेष से सहायता प्राप्त करना तथा बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना व उपरोक्त उद्देश्यों के लिये संस्थान की सम्पत्ति को गिरवी रखना अथवा प्लेज करना।

10. ट्रस्ट के संचालन हेतु दान आदि के अलावा लघु उद्योगों विशेष कर महिला उद्योगों की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

12. शिक्षा प्रदान कर प्रदूषण रहित एवं भ्रष्टाचार रहित सैहार्दपूर्ण समाज की स्थापना करना।

13. ट्रस्ट के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु अन्य कोई भी कार्य करना।

14. समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहायता का आदान–प्रदान करना व उनको समाहित करना।

18. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अचल सम्पत्तियों को क्रय करना, पट्टे पर प्राप्त करना एवं एवम् किराये पर प्राप्त करना।

19. ट्रस्टीज़ की सहमति से ट्रस्ट से सम्बन्धित सम्पत्तियों को विक्रय करना, लीज पर देना, किराये पर देना।

20. मानव कल्याण एवम् जनहित हेतु अन्य लोकोपयोगी कार्य करना।

21. पर्यावरण संरक्षण, विकलांग कल्याण, दलितोत्थान व निर्धन लोगों के उत्थान के लिये कार्य करना।

CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

रु. 100

HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219141

5. पदाधिकारियों का चयन : ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी श्री श्रीचन्द शर्मा व श्री सुरेश चन्द शर्मा आपसी सहमती से पदाधिकारियों का चयन ट्रस्टीयों में से अथवा बाहर से करेंगे।

6. पदाधिकारियों को अधिकार एवं कर्तव्य

अध्यक्ष

1. प्रबन्धकारिणी समिति के अध्यक्ष को समिति की बैठक में अध्यक्षता करने का अधिकार होगा।
2. समिति के निर्णयों में किसी विषय पर सम्मति के समान हो जाने पर एक अधिकार मत देकर निर्णय करना।
3. ट्रस्ट के कार्यों का निरीक्षण करना तथा ट्रस्ट के नियमों का सुचारू रूप से पालन करने की व्यवस्था करना।
4. ट्रस्ट के कार्यों से सम्बन्धित प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
5. बाह्य व्यक्तियों से ट्रस्ट के लिए कोई अनुबन्ध अथवा कोई कार्य करने की दशा में ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करना।
6. ट्रस्ट की सम्पत्तियों तथा कोषों की देखभाल करना।

उपाध्यक्ष

1. अध्यक्ष के कार्य में सहायता प्रदान करना।
2. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य सम्पादित करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219142

प्रबन्धक / सचिव

1. ट्रस्ट के कार्यों का संचालन करना।
2. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों आदि के कर्मचारी / अधिकारियों की नियुक्ति, पृथक करना, त्यागपत्र, ग्रेड, वेतन वृद्धि इत्यादि की स्वीकृति हेतु समिति में प्रस्ताव प्रस्तुत करना।
3. विगत वर्ष के वित्तीय खातों तथा आगामी वर्ष के बजट को स्वीकृत कराने के लिए समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।
4. समिति द्वारा अनुमोदित व्ययों की उचित रूप से व्यय करने की व्यवस्था करना।
5. ट्रस्ट की ओर से आवश्यक पत्र व्यवहार अपने निरीक्षण में तथा अपने हस्ताक्षरों से करना तथा संस्था की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही अथवा नालिश कराना, बयान तहरीर आदि दाखिल करना आदि।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219143

6. आवश्यकतानुसार समय–समय पर ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों की उन्नति के लिए अध्यापकों, छात्रों, अभिभावकों अन्य शिक्षण संस्थाओं के अधिकारियों व अन्य जन अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करना।

कोषाध्यक्ष

1. ट्रस्ट के कोषों की उचित देखभाल करना तथा ट्रस्ट के वित्तीय खातों का तैयार करवाने का कार्य कोषाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
2. ट्रस्ट के कोष को बैंक अथवा बैंक या अन्य लाभकारी स्थानों पर निवेश कराना तथा अपने निरीक्षण में हिसाब की व्यवस्था करना।
3. ट्रस्ट के कार्यो की मासिक प्रगति व आय–व्यय के वितरण के समति को परिचित कराना एव उसकी स्वीकृति प्राप्त करना।
4. चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसका हिसाब रखना।

उपप्रबन्धक / सहसचिव

1. उपप्रबन्धक / सहसचिव का कार्य प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य करना।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BA 219144

2. प्रबन्धकारिणी समिति के सभी सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

कार्यकारिणी सदस्य

कार्यकारिणी समिति की बैठकों में भाग लेना, अपनी राय देना, मतदान करना तथा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना।

7. प्रबन्ध कारिणी समिति

1 ट्रस्टियों की अधिकतम संख्या 11 से अधिक नही हो सकती है। यह ट्रस्ट मण्डल कहलायेगा। जो कि प्रबन्ध कार्य कारिणी समिति के नाम से जानी जायेगी।

2. ट्रस्टियों द्वारा आगामी बैठकों में कार्य समिति बनाने का दायित्व होगा।

3. यह कि ट्रस्ट के तीन पदाधिकारी अध्यक्ष, प्रबन्धक व कोषाध्यक्ष होंगे जिनका कार्यकाल पांच साल का होगा। जिनकी नियुक्ति बहुमत राय से की जावेगी। ट्रस्ट के संस्थापकश्री श्रीचन्द शर्मा व श्री सुरेश चन्द शर्मा संस्थापक सदस्य आजीवन ही रहेंगे बाद में इनके वारिसान ट्रस्टी/संस्थापक होंगें।

8 बैठक ट्रस्ट, सूचना एवं गणपूर्ति

1 ट्रस्ट की सामान्य बैठक प्रतिवर्ष कम से कम दो बार होगी इस सामान्य बैठक के लिए 15 दिन का नोटिस अध्यक्ष या मंत्री द्वारा दिया जायेगा। जिसमें विशेष

CamScanner

बैठक 24 घण्टे के नोटिस पर कभी बुलाई जा सकती है।

2. ट्रस्ट के बैठक एवं उनका संचालन व्यवस्था में नियम बनाना, उसमें परिवर्तन व संशोधन एवं अधिकार व कर्तव्यों आदि के सम्बन्ध में 2/3 के सदस्यों के द्वारा होगा एवं प्रत्येक कार्यवाही 2/3 से ही पूर्ण समझी जायेगी।

3. गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्यों की उपस्थिति कोरम होगा।

9. कार्यकारिणी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्ती

1. यह कि किसी भी ट्रस्टी के पागल हो जाने, दिवालिया हो जाने मृत्यु, त्यागपत्र देने की स्थति में, ट्रस्ट की लगातार चार बैठकों में अनुपस्थिति रहने अथवा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करने पर उस ट्रस्टी को बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा।

10. रिक्त स्थान की पूति

1. यदि समिति के किसी सदस्य का स्थान उपरोक्त किसी कारण से रिक्त हो जाता है, तो समिति के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर उस रिक्त स्थान की पूर्ति उपरोक्त ट्रस्टीज के परिवार के सदस्यों के या अन्द दीगर से आगामी नई नियुक्ति संस्थापक के द्वारा कर ली जायेगी एवं इस नियुक्ति की पुष्टि बैठक में कराना अनिवार्य होगा।

11. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष

1. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक चलेगा। ट्रस्ट के सुचारू संचालन हेतु नियम उपनियम बनाना एवं विभिन्न समितियों का गठन करना। ट्रस्ट का कार्य वर्ष वित्तीय वर्ष के अनुसार रहेगा।

12. ट्रस्ट के बैंक खाते

1. ट्रस्ट के बैंक खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक तथा शेड्यूल्ड बैंक में ही खुलेंगे। ट्रस्ट के बैंक खाते का संचालन

प्रबन्धक, उपप्रबन्धक अथवा कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होगा

13. लेखा परीक्षण

1. ट्रस्ट के लेखा परीक्षण किसी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर (यानि कि एक अप्रैल से 31 मार्च) कराया जायेगा।

14. पदाधिकारियों के अतिरिक्त अधिकार

1. ट्रस्ट के लिए किसी भी चल या अचल सम्पत्ति को अर्जित के सामान्य करना उसको संभाल कर ट्रस्ट को सौंपना। इसी प्रकार ट्रस्ट की सम्पत्तियों का उचित रख-रखाव एवं संरक्षण करना।

2. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों पूर्ति के लिए ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा उचित रूप से अन्तरण करना।
3. ट्रस्ट के विभिन्न श्रोतों से विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं सरकारी, गैरसरकारी से सहयोग लेना चल अचल सम्पत्ति की भेंट व दान प्राप्त करना।
4. इस ट्रस्ट के उद्देश्यों में से किसी एक या अनेकों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सम्बन्ध स्थापित करना।
5. ट्रस्ट के विभिन्न अधिकारियों सेवकों आदि की नियुक्ति करना, नियुक्तियों के सम्बन्ध में सेवा शर्तों आदि को तय करना।

15. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु धन व सम्पत्ति

1. भविष्य में ट्रस्टियों द्वारा दान में दी गई मिल्कियत, चल अचल सम्पत्ति, धनराशि जैसा भी हो, ट्रस्ट में निहित होगी।
2. ऐसी मिल्कीयत, चल अचल सम्पत्ति, धनराशि, जो ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा ट्रस्ट को दान में दी जावेगी, वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी चल–अचल सम्पत्ति व भेंट सहायता धनराशि प्रकट या मुफ्त या अनामरूप से ट्रस्ट को प्राप्त होगी वह ट्रस्ट को प्राप्त होगी। वह ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी।
4. ट्रस्ट की सभी प्रकार की सम्पत्तियों व अधिकारी से जो भी आय होगी वह ट्रस्ट में निहित होगी।
5. न्यास के किसी भी सदस्य को ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर या ट्रस्ट के कार्यों में रूचि न लेने पर उसकी बैठकों में भाग न लेने पर बहुमत राय से निष्कासित किया जा सकेगा।
6. केशव माधव शिक्षण संस्थान की सम्पत्ति भूमि स्थित ग्राम धूममानिकपुर बैनामा दिनांकित 07 फरवरी 2006 रकबई 1418 मी० एवं ओ. बी. सी. बैंक खाता संख्या 52561131000121 भी ट्रस्ट में निहित होंगी एवं केशव माधव शिक्षण संस्थान की प्राप्तियाँ व देनदारियाँ भी ट्रस्ट में निहित होंगी।

केशव माधव शिक्षण संस्थान, धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर

ट्रस्ट के पदाधिकारियों की सूची

1.	अध्यक्ष	:	श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री वासुदेव शर्मा ग्राम व पोस्ट मैथना जगतपुर जनपद बुलन्दशहर
2.	प्रबन्धक / सचिव	:	श्री श्रीचन्द शर्मा पुत्र श्री चमनलाल शर्मा ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
3.	उपाध्यक्ष	:	श्रीमती संजीता शर्मा पत्नि श्री श्रीचन्द शर्मा ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
4.	उपप्रबन्धक / सहसचिव	:	श्री सुरेश चन्द शर्मा पुत्र श्री चमनलाल शर्मा ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
5.	कोषाध्यक्ष	:	श्रीमती कुशलप्रभा शर्मा पत्नि श्री सुरेश चन्द शर्मा ग्राम व पोस्ट धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर

CS CamScanner

16. कानूनी कार्यवाही

ट्रस्ट के द्वारा अथवा ट्रस्ट के ऊपर कोई भी वैधानिक कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष/सचिव से नाम से न्यायालय जिला गौतमबुद्धनगर में ही सम्पन्न होगी। अन्यत्र कहीं पर भी मान्य नहीं होगी।

अतः यह ट्रस्ट का घोषणापत्र आज दिनांक 21|5|2012 को बखुशी बराजी खूब सोचसमझकर ट्रस्ट के संस्थापकों द्वारा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

केशव माधव शिक्षण संस्थान, धूममानिकपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर

Sonu

गवाह 1 सोनू शर्मा पुत्र दीपचन्द शर्मा
नि० ग्राम बिसहाड़ा पो० व तह० दादरी
जिला गौ० बु० नगर

गवाह 2 सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र स्व
श्री भाताप्रसाद शर्मा
नि० नादर गंज दादरी
पो० व तह० दादरी जिला
गौ० बु० नगर

मसौदा कर्ता :-

21/3/12

Neeraj ... Ch. No ... Compound
Dadri, G.B. ... (U.P.)